महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 582/नौ–7–2021–11(ज0)/2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)समस्त ज़िलाधिकारी, उ0प्र0।
(3)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(4)समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0/न0पं0, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांकः 31 मई 2021**

विषयः कोविड–19 के दृष्टिगत नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर साफ–सफाई, सेनेटाईजेशन एवं मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था का पर्यवेक्षण मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1031/पॉच–5–2020, दिनांक 01.05.2020, नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–672/नौ–7–2020–11(ज)/2020, दिनांक 29.06.2020, चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1116/पॉच–5–2020, दिनांक 17.05.2020, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत नियुक्ति अनुभाग–1 के पत्र संख्या–585/दो–1–2021, दिनांक 15.05.2021 तथा तत्क्रम में निर्गत नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–554/नौ–7–2021–11(ज)/2020, दिनांक 17.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा सामुदायिक सर्विलांस, सामुदायिक जागरूकता, डोर–टू–डोर स्क्रीनिंग, कोविड–19 लक्षणयुक्त तथा संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध कराने हेतु मोहल्ला निगरानी समिति के कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के क्रम में नगरीय निकायों में स्थानीय पार्षदों के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया गया है।

2. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकायों में पार्षद/सभासद के नेतृत्व में गठित उपरोक्त मोहल्ला निगरानी समिति, उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये पूर्व में कार्यों एवं दायित्वों के साथ ही साथ निकायों के वार्डों में की जा रही सफाई व्यवस्था, सेनेटाईजेशन की कार्यवाही एवं मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था का पर्यवेक्षण का कार्य भी करेंगी तथा उक्त संबंध में अपना फीडबैक निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को नियमित रूप से देंगी। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी उक्त फीडबैक के संबंध में त्वरित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्णय के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

so 7 vivek 3

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

so 7 vivek 3